



ला. १० वा. डिस्ट्रीक्शन, १९९८

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 1998—वैषाष्ठ 11, शक 1920

स्थानीय शासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोगाल, दिनांक 1 मई 1998

पा. 19-अगारह-3-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की भाग 292-क, 292-ख, एवं 292-ड सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की भाग 339-ए, 339-ख, एवं 339-ड सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम घोषित करता है, अधांतः—

नियम

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा प्रसार.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन तथा शर्त) नियम, 1998

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(3) ये नियम पालिका के समस्त नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायतों की सीमा एवं नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय पालिका एवं एस्टेट एस्टेटिंग एटिया में प्रभावशील होंगे।

2. परिभापाण.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अंयोजित न हो,—

(क) "अधिनियम" में अभिप्रेत है नगरपालिक निगमों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961).

- (ख) "कालोनाइजर" से अभिप्रेत है विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीयत समिति, सहकारी समिति संस्था या अन्य कोई पंजीकृत संस्था सहित ऐसा व्यक्ति या संस्था जो किसी कृषि भूमि सहित अन्य भूमि को भूखण्डों में विभाजित करने के प्रयोग से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की ओछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जिसका इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रेकरण किया गया हो।

(ग) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो, उसके भूमि की सीमा निर्धारित किये गए अंतरण के अन्तर्गत आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की ओछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है।

(घ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत।

(च) "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" से अभिप्रेत है भू-राजस्व संहिता, 1959 (सन् 1959 का क्र. 20) के अंतर्गत नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी।

(छ) "भूखण्ड धारक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी नगरपालिक क्षेत्र में कोई भूखण्ड, कालोनी निर्माण करता या किसी व्यक्ति से अंतरण के किसी विलंब के अधीन या अंतरण के किसी करार के अधीन धारण करता है।

(ज) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न प्ररूप।

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिक निगम की सीमा में आता है वो रिति में नगरपालिक आयुक्त तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा में आता है, वो रिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(ए) आंतरिक विकास कार्य से तात्पर्य कालोनी सीमा में निर्धारित मानक अनुसार किए जाने वाले निम्नलिखित विकास के से हैं:—

 - (एक) समतलीकरण।
 - (दो) प्रस्तावित मार्गों का एवं अभिन्यास में स्वीकृत भूखण्डों का सीमांकन।
 - (तीन) प्रस्तावित मार्ग का निर्माण (आई. आर. सी. मानक अनुसार)।
 - (चार) यदि कालोनी की भूमि में वर्तमान में मार्ग विद्यमान है तो वर्तमान नाली का केवलाइनेशन (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
 - (पांच) पुलियों का निर्माण (आई. आर. सी. के मानक अनुसार)।
 - (छः) प्रस्तावित नाली निर्माण यदि विधमान है तो वर्तमान नाली का केवलाइनेशन (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
 - (सात) आंतरिक जलप्रदाय प्रणाली का क्रियान्वयन (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
 - (आठ) आंतरिक सीवर लाईन का निर्माण (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
 - (नौ) सेंट्रल टेंक का निर्माण (यदि प्रस्तावित है) (पी. एच. ई. के मानक के अनुसार)।

कारी समिति
को भूखण्डों
ने का आशय
बांधा रखने
कालोनाइज़

पंचायत का
प्रस्ताव

तर्गत नियुक्ति

निर्माण करा
ता है.

प्रिया
पा में आली
गर पंचायत

कास का

धरौ पा

नुसार)

(दस) आंतरिक विद्युत् व्यवस्था में बिजली के खम्बे लगाना आदि (एम. पी. ई. बी. द्वारा निर्धारित मानक अनुसार).

(ग्यारह) ओवर हेड टेंक का निर्माण.

(बारह) कालोनी में प्रस्तावित खुले क्षेत्रों का विकास.

(तेरह) मार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना.

(त) वात्य विकास कार्य से तात्पर्य निर्धारित मापदण्ड में निम्नलिखित विकास कार्यों से हैं,—

(एक) कालोनी सीमा से प्रारंभ हो कर नगर के विद्यमान मार्ग तक कालोनी से पहुंच मार्ग के रूप में निर्मित किये जाने वाले नए मार्ग.

(दो) यदि कालोनी के संलग्न वर्तमान मार्ग विद्यमान है उस दशा में विद्यमान मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण हेतु आने वाला व्यय.

(तीन) कालोनी के लिए विद्युत् प्रदाय करने हेतु कालोनी की सीमा से वर्तमान विद्युत् लाईन तक लाईन का निर्माण कार्य.

(चार) भूमिगत मलबहन प्रणाली के अंतर्गत कालोनी की सीमा तक वर्तमान प्रणाली से कालोनी की प्रणाली को जोड़ने हेतु व्यय.

(पांच) यदि कालोनी में नगर स्तरीय जल प्रदाय प्रणाली से जल प्रदाय करना प्रस्तावित है उस दशा में कालोनी सीमा से वर्तमान पाईप लाईन तक नई पाईप लाईन बिछाने का कार्य.

(थ) विकास व्यय लागत से अभिप्रेत है खण्ड (ण) एवं (त) में उल्लिखित कार्यों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण करने में आने वाला व्यय जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो.

(२) →

कालोनाइज़र का रजिस्ट्रीकरण.—(1) ऐसा कालोनाइज़र जो किसी नगरपालिक क्षेत्र में जिला नगरपालिका के अन्तर्गत विद्यमान है उसे वर्तमान वर्तमान में लेने का आशय रखता है;

(दो) ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की बांधा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है;

द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण हेतु इन नियमों के संलग्न प्रहृप-एक में आवेदन किया जावेगा.

(2) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रसुत प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा:—

(एक) नियम-4 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क नगरपालिक क्षेत्र में जमा करने के प्रमाण में रसीद की प्रति;

(दो) ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उपरी उम्पिक हैं की स्थिति में 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है जीव स्थिति में एक लाख रुपये की बैंक गारंटी बैंक गारंटी पंजीयन की पूरी अवधि के लिए होगा अनिवार्य होगा.

VI/2, 18 रोज़ग़ार

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की स्थिति में उपनियम (2) के अधीन जमा किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क को 20% राशि काट कर शेष राशि अभी बैंक गारन्टी आवेदनकर्ता को वापसी योग्य होगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में, उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जावेंगे तथा आवेदन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने जैसी भी स्थिति हो की कार्यवाही आवेदन-पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो आवेदन अस्वीकृत समझा जावेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में इसकी अपील रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकारने प्रस्तुत की जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र इन नियमों के संलग्न प्रस्तुत-दो में जारी किया जातेगा तथा सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन नियमों या अधिनियम में वर्णित नियमों तथा शर्तों के अतिरिक्त भी अन्य शर्तें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंकित कर सकेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा तत्पश्चात् नवीनीकरण योग्य होगा।

(जोना)

(8) किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक्-पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में रजिस्ट्रीकरण कालोनाइजर के नामों की सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड, कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थलों पर चला कर प्रकाशित की जावेगी।

4. रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क.—रजिस्ट्रीकरण शुल्क रु. 5,000/- (पाँच हजार रुपए) और नवीनीकरण शुल्क रु. 2,000/- (दो हजार रुपए) होगा, जिसे नगरपालिका कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी।

5. रजिस्ट्रीकरण हेतु नियोक्ताएं—कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीयत समिति, सहकारी संस्था, अन्य कोई पंजीकृत संस्था की दशा में संस्था द्वारा निवाचित संचालक कालोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि—

(क) प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दी गई कोई जानकारी सही नहीं है, अथवा जानकारी अपूर्ण है,

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ग) (एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ड या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेत प्रतिपाप अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या देश में प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत आने वाले संघेय अपराध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धांत ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसमें छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,

(दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा—

(1) उपखण्ड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धांत ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्य कालावधि के कारबास से दण्डादेश किया गया हो, या

(2) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के गा जमाखोरी या मुगाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औपराधि उपभिष्ठ के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो,

जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्त की अतिरिक्त कालावधि न ब्रोत तृकी हो।

स्पष्टीकरण:-

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपचार वरने वाली विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि का वल रखने वाला कोई आदेश नियम या अधिसूचना जिसमें—

(एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण या विनियागन वरने,

(दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, निर्धारित करने,

(तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कल्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्यवहन, उपयोग या उपभोग का विनियागन करने,

(चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिरोध वरने का उपचार है,

(छ) "औषधि" का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके नियम दिया गया है,

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके नियम दिया गया है,

(घ) "खाद्य" का वही अर्थ होगा जो खाद्य अधिकारण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है,

(ङ) पूर्व में यदि आवेदक के कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नियम-7 या 13 के अधीन रद्द किया गया हो,

(३) (ज) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित किया गया हो।

6. रजिस्टर का रखा जाना.—सक्षम प्राधिकारी प्ररूप-तीन में एक पंजी रखेगा जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के संपूर्ण व्यौर और साथ ही वे निर्वन्धन या शर्तें जिनके अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है दर्ज किये जाएंगे और उसमें आवेदक का पूर्ण पता लिखा जावेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पते में हुए किसी गणितीय की स्थिति में उसकी सूचना संक्षेप में प्रधिकारी को देगा।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्द किया जाना.—सक्षम प्राधिकारी स्वयं या किसी स्त्रोत से प्राप्त जानकारी पर अधिलिखित किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के किसी निर्वन्धन, शर्त या निर्वन्धनों या शर्तों या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपलब्धों का उल्लंघन होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा :

परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक रद्द नहीं किया जावेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुने जाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्द किये जाने के आदेश की विधि से 30 दिन के भीतर उसकी अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी :

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि कालोनाइजर एक में अधिक कालोनियों का निर्माण करता है और उनमें से एक कालोनी का नियम विधिवत करता है और दूसरी में कुछ अनियमितताएं की जाती हैं तब उसके कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया जावेगा, विनियम जिस कालोनी में अनियमितताएं पाई जाती हैं उन अनियमितताओं के संबंध में ही कार्रवाई की जावेगी :

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि कालोनाइजर द्वारा नार-चार अनियमितताओं को दोहराया जाता है तब उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा।

8. कालोनी के विकास के लिए आवेदन पत्र तथा अनुपत्ति शुल्क.—

(१) नियम ३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कालोनाइजर जब किसी कालोनी की स्थापना और उसके विकास का कार्य हाथ में लेना चाहिए है तो उसे सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-चार में उसके हारा कालोनी विकास का कार्य शुरू करने या भूमिकाओं का विकास करने के लिये प्रसारित विधि से कम 90 दिन तक आवेदन-पत्र उप नियम (२) में निर्धारित शुल्क सहित प्रमाण करना होगा।

(2) कालोनी के विकास की अनुमति के लिये निमानुसार शुल्क देय होगा, जिसे कालोनाइजर द्वारा नगरपालिका कोष में जमा कर उसकी रसीद की सत्याग्रहित उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा:—

(एक) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	: रु. 10,000/- प्रति हेक्टर
(दो) तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	: रु. 4,000/- प्रति हेक्टर
(तीन) नगरपालिका क्षेत्र	: रु. 2,000/- प्रति हेक्टर
(चार) नगर पंचायत	: रु. 1,000/- प्रति हेक्टर

9. अनापत्ति प्रमाण-पत्र का लिया जाना.—(1) नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षमप्राधिकारी द्वारा निम्नांकित अनापत्तियाँ अनुमतियाँ संवेदित विभाग/कार्यालय से प्राप्त की जावेंगी:—

- (क) शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत,
- (ख) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र,
- (ग) नज़ूल अधिकारी से.

(2) उप नियम (1) में वर्णित अनापत्तियाँ या अधिभत यदि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पत्र के दिनांक से पैंतालीस दिन की समयावधि में संवेदित विभाग नहीं देते हैं तब इसे उनकी स्वीकृति मानकर नियम 8 के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्र का निराकरण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के भीतर किया जावेगा।

(3) उप नियम (2) में वर्णित अवधि के उपरांत यदि सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवेदन-पत्र का निराकरण किये जाने की सूचना आवेदक कालोनाइजर वाले प्राप्त नहीं होती है, तो कालोनाइजर सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित में सूचना देगा, सूचना प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति जारी नहीं किए जाने पर उस अवधि के उपरांत आवेदक कालोनाइजर को विकास अनुमति दी गई सीमा जावेगी, परन्तु उक्त कालावधि की संगणना करने में आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारियाँ या दस्तावेजों की लिए अध्ययनशाला करने की तारीख तथा आवेदक से ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख के बीच की कालावधि अपवर्जित कर दी जावेगी, यह समझी गई अनुमति उस सीमा तक मान्य होगी जहाँ तक कि तत्समय प्रचलित किसी भी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों दी जावेगी, यह समझी गई अनुमति ही समझी गई अनुमति मान्य होगी।

10. आवासीय कालोनी में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराए जाना.—(1) एक एकड़ या उससे अधिक सीमा को प्रत्येक आवासीय कालोनी में कालोनाइजर द्वारा विकसित किए भूखण्डों के 15% के बराबर पूर्ण विकसित भूखण्ड कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंपे जावेंगे, वे सभी भूखण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर कमज़ोर आय वर्ग के लोगों को आवंटित किये जावेंगे, इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र कमज़ोर आय वर्ग के लोगों की सूची शासन द्वारा विहीन अधिकारी द्वारा संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में इसका नवीनीकरण किया जावेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन पात्र व्यक्तियों का चयन संभाग आयुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में निमानुसार समिति द्वारा किया जावेगा—

- (एक) नगर निगम की स्थिति में भूमि पर लैक्ष्य नगरपालिका/नगर पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष,
- (दो) उप पंजीयक, सहकारिता,
- (तीन) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेष

(चार) नगर निगम की स्थिति में नगरपालिका आयुक्त तथा नगरपालिका/नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियन्त्रित पात्र व्यक्तियों की गूची विहीन प्राधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी तथा कालोनाइजर को उपलब्ध कराई जावेगी, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड उपनियम (1) अनुसार आवंटित किये जावेंगे।

(4) ऐसे कालोनाइजर, जो अपनी आवासीय कालोनी में उपनियम (1) के अनुसार कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिये विकसित भूखण्ड देने के बजाए आवासीय भवन निर्मित करके उपलब्ध कराना चाहे, तो वह विकसित भूखण्डों के कुल क्षेत्र के 1/4 भाग के बराबर निर्मित क्षेत्र में भव्य हुड़को द्वारा ई. डब्ल्यू. एस. के लिए निर्धारित साइज में निर्मित कर सक्षम प्राधिकारी को सौंप सकेंगे जिनका आवंटन पात्र व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर सक्षम प्राधिकारी करेगा।

जमा कर
होगी:-

(५) कमज़ोर आय वर्ग के लिए उपरोक्तानुसार आवासीय भूखण्डों/भवनों को छोड़कर ही अन्य भूखण्डों/भवन आवंटित करने की पात्रता कालोनाइजर को होगी.

(६) ऐसे कालोनाइजर जो अपनी आवासीय कालोनी में कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिए उपनियम (१) या (४) के अधीन भूखण्ड नियम (३) अथवा भवन निर्मित नहीं करना चाहते उनके लिये यह विकल्प होगा कि वे अपनी कालोनी से एक किलोमीटर की त्रिज्या में (रेडिस्ट्री) अधिकारी आकार के एवं निर्धारित मालिकाना में विकसित भूखण्ड/निर्मित भवन बनाकर अथवा क्रय कर, उपरोक्तानुसार कमज़ोर आय वर्ग के लोगों को आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंपेंगे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जावेगा.

(७) उपनियम (१) या उपनियम (४) या उपनियम (६) के अधीन कमज़ोर आय वर्ग के लोगों की भूखण्ड/भवन आवंटित करने पर प्राप्त वापस होगी उसे सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को भुगतान करेंगे.

(८) यदि दो वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी भूखण्ड/भवन पात्र व्यक्तियों को आवंटित नहीं कर पाते हैं तब ऐसे भूखण्ड/भवन सक्षम प्राधिकारी वालोनाइजर को वापस किये जावेंगे.

(९) कालोनाइजर को नियम-४ में वर्णित आवेदन देते समय ही यह स्पष्ट करना होगा कि उप नियम (१), (४) या (६) में से कोनमें विकल्प चुनना पसंद करेंगे तथा आवेदन-पत्र के साथ ही चुने गये विकल्पों के विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे। सक्षम प्राधिकारी इन विकल्पों का तकनीकी परीक्षण करा कर, कालोनी निर्माण की मंजूरी के समय विकल्पों के क्रियय में भी उल्लेख करेंगे।

11. शहरी भूमि की उपलब्धता एवं अनुकूलतम उपयोग.—जिस भूमि पर शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 लागू होता है, उसमें कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिये कुल विकसित क्षेत्रफल के कम से कम 25% के बराबर विकसित क्षेत्र भूखण्ड के रूप में शहरी सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत घोषित सीलिंग अतिरेक भूमि के निर्धारित दर पर, राज्य शासन द्वारा विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराने एवं शेष भूमि पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना तथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवासीय योजनां क्रियान्वित करने हेतु एक एवं सहकारी समितियां सहमत होते हैं तो उन्हें शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा छूट प्रदाय जावेगी। राज्य शासन द्वारा योजना के अनुमोदन दिनांक से एक वर्ष वाली अवधि में योजना का क्रियाव्यय प्रारंभ एवं तीन वर्ष वाली अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित विकसित भूखण्ड लेने के अतिरिक्त, कमज़ोर आय वर्ग के लिए किसी अन्य प्रावधान अन्तर्गत कोई भूखण्ड नहीं लिये जावेंगे। उपरोक्त संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश लागू माने जावेंगे।

12. कालोनी के विकास कार्य की अनुमति दिया जाना—नियम ४ के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियम ९, १० एवं ११ में वर्णित विवरणों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ५ में कालोनी के विकास की अनुमति दी जावेगी।

(एक) कालोनाइजर द्वारा विकसित किये जाने वाले भूखण्डों में से कमज़ोर आय वर्ग के लिये सुरक्षित रखे गये भूखण्डों को छोड़कर शेष के पच्चीस प्रतिशत की संख्या में भूखण्ड संबंधित नगरपालिका के पास बंधक रखना होगा, ये भूखण्ड नियम १३ के उप नियम (२) के अध्यधीन रहते हुए कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर बंधनमुक्त किये जावेंगे तथा विक्रय हेतु कालोनाइजर का उपलब्ध होंगे। बंधक किये गये भूखण्डों/भवनों के क्रमांकों की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जावेगी साथ ही ऐसी सूचना की प्रति सब रजिस्ट्रार को भी भेजी जावेगी।

(दो) कालोनी के आंतरिक विकास पर व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत के 2% के बराबर राशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में कालोनाइजर द्वारा संबंधित नगरपालिका के बोप में जमा कराना होगा।

(तीन) कालोनी के रखरखाव हेतु नगरपालिका को हस्तांतरित करने के लिये नगरपालिका द्वारा निर्धारित मापदण्ड का पालन कालोनाइजर को करना होगा।

(चार) कालोनाइजर द्वारा कालोनी के विकास कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जावेगी। सूचना प्राप्त होने पर 15 दिन की समयावधि में संबंधित कालोनी के विकास कार्यों का निरीक्षण कर विकास कार्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के दिनांक को ही संबंधित कालोनी रखरखाव हेतु नगरपालिका को अंतरित होना मान्य किया जावेगा।

(पांच) कालोनाइजर कालोनी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर, बाह्य विकास लागत राशि रप्ये 10/- प्रति वर्ग मीटर की दर से नगरपालिका कोप में नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा। राज्य सरकार इस दर का समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी।

(छ) खण्ड (पांच) अनुसार राशि जमा हो जाने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि में नगरपालिका द्वारा विकास कार्य पूर्ण का कालोनाइजर को सूचित किया जावेगा।

उपलब्धि
तिथि से

नी सूचना
30 दिन
लोनाइजर
दस्तावेजों
जित कर
प्रावधानों

इस से
जारी आय
के लोगों
निर्धारित की

जावेगा—

पिंडारी
उपलब्धि

भूखण्ड
पत्र क्षेत्र
विकासीय

13. कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि—(1) नियम 12 के अन्तर्गत कालोनी के विकास की जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर कालोनाइजर द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(2) यदि उप नियम (1) में निर्धारित समयावधि में कोई कालोनाइजर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तब सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् कालोनी के आंतरिक विकास का कार्य अपने हाथ में लेकर विकास कार्य पूर्ण कर और इस प्रकार कराए गए कार्य पर जो व्यय आएगा उसकी प्रतिपूर्ति नियम 12 के खाड़ (एक) के अधीन बंधक किए गए पच्चीस प्रभुण्डों का विक्रय कर की जावेगी।

14. नियम 12 का पालन न करने का प्रभाव—यदि नियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त होने के पूर्व कोई कालोनाइजर कालोनी के विकास का कार्य प्रारंभ करता है या भूखण्डों का विक्रय करता है या विक्रय करने के लिये उद्यत होता है तब ऐसी स्थिति में प्राधिकारी ऐसे कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और ऐसी कानूनी कार्रवाई कर सकेगा जो वह विधि के अधीन, कर विनिश्चय करें :

परन्तु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कालोनाइजर को अपना पक्ष प्रगति का अनुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु यह और भी की रजिस्ट्रीकरण रद्द करो के कारण लेख बद्ध करना अनिवार्य होगा।

15. कालोनियों का प्रबंध—(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में कालोनाइजर द्वारा अवैध व्यपर्वतन के द्वेष में लगाये गए खण्डों के अन्तरण किये जाने या अन्तरण का करार किये जाने या अवैध तरीके से कालोनी बनाने का तथा आता है और यदि वह ऐसी के प्रबंध को अपने अधिकार में लेना बांछीय समझता है तो तब एक सूचना जारी बोरेगा और उसे कम से कम दो शासीय दैनिक समाचारों में जिसमें कम से कम एक हिन्दी भाषा का होना चाहिये, प्रकाशित करेगा और उक्त भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों से विनिर्दिष्ट अवैध के भीतर यह कारण बताने के लिये कहेगा कि उक्त भूमि का प्रबन्धन उसके द्वारा अधिकार में व्यों न ले लिया जाय।

(2) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सूचना के संबंध में या अन्यथा रूप में प्राप्त हुई आपत्तियों या सुनिश्चित यदि कोई हो पर विचार करेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति से जिसने कोई आपत्ति उठाई हो, स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिक्रिया के द्वारा तथा सभी संगत दस्तावेजों के साथ मौखिक सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए कहेगा।

(3) सुनवाई हेतु नियत तारीख को पक्षकारों को यदि वे उपस्थित हों, सुनने के बाद और मामले में आगे ऐसी जांच करने के बाद वह उचित समये सक्षम प्राधिकारी—

(क) यदि उसे किसी अवैध व्यपर्वतन या उस पर अवैध रूप से कालोनी बसाने का पता चलता है तो वह भूमि का प्रबन्ध हाले सकेगा।

(ख) यदि उसको इस बात से समाधान हो जाता है कि भूमि अवैध व्यपर्वतन या अवैध रूप से कालोनी बसाने के अध्यधीन है तो कार्यवाही बन्द कर सकेगा।

(4) भूमि के प्रबन्ध हेतु अपने कर्तव्य के पालन में सक्षम प्राधिकारी अपने अधीनस्थ एक या अधिक अधिकारियों को संपत्ति के, उन प्रबन्ध, सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिए और जहां कहीं आवश्यक हो, उसका किराया और अन्य लाभ वसूल करने के लिए और सम्पत्ति के प्रबन्ध, सुरक्षा तथा परिरक्षण हेतु कोई वाद या अभियोजन या अन्य वैध कार्यवाही चलाने और उसका प्रतिवाद करने के लिए ऐसी शक्तियां प्रत्यायों कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(5) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का प्रबन्ध हाले में ले लिया गया हो तब वह ऐसी भूमि के विकास खर्च में शामिल की जावेगी और वह गशान या किसी अन्य समुचित आधार पर उन व्यक्तियों से वसूल की जावेगी जिन्हें योजना के आधीन भूखण्ड आवंटित किए गए हों।

16. निरसन—इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से, इन नियमों के तत्स्थानी वे समान नियम तथा उपविधियां जो इन नियमों प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त हो निरस्त हो जाएंगी:

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों तथा उपविधियों में से किसी भी नियम तथा उपविधि के अधीन की गई कोई बात या की कोई कार्यवाही जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपर्यांतों के असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपर्यांतों के अधीन की समझी जाएगी।

रकास की जा

सक्षम प्राप्ति
कार्य पूर्ण का
ए पच्चीस वर्षइंजर कालो
स्थिति में

अधीन, कार्य

प्रस्तुत करते

में लगाये गए
दे वह ऐसी
दैनिक समा
क्षियों से,
लिया जाय
तियों या सु
धिकृत प्रति

रने के बारे

प्रबन्ध हो

अध्यधीन

पति के, ज
पति के प्र
यां प्रत्यारोभूत्वण्डधारा
की जानक

वह गथानु

इन नियमों

त या की
प्रधीन की

प्ररूप-एक

[देखिए नियम-3 (1)]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

1. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
.....
2. अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र
जिला

कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत हैः—

(1) रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रु. नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (मत्यग्रन्ति मंत्रालय है) द्वारा जमा कर दिए गए हैं।

- (2) बैंक गारन्टी रु. संलग्न है।
- (3) अन्य अपेक्षित व्यौरे निम्नानुसार हैः—

1. आवेदक का नाम तथा पूरा वर्तमान पता तथा स्थायी पता।
2. क्या आवेदक एक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है।

3. यदि आवेदक—

- (क) व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता,
- (ख) निजी कम्पनी है तो पंजीयन के स्थान सहित कम्पनी के सभी राष्ट्रयों की राष्ट्रीयता,
- (ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो संचालकों की राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता वालों के द्वारा धारित अंशपूंजी का प्रतिशत तथा निगमन का स्थान,
- (घ) फर्म या संघ है तो फर्म या संघ के सभी भागीदारों की राष्ट्रीयता,
- (ङ) संस्था (सोसायटी) है तो उसके व्यौरे।

4. आवेदक का व्यवसाय या कारोबार का स्वरूप।

5. आवेदक के स्वामित्व की अचल और चल संपत्ति के व्यौरे।
6. क्या उसने यह आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व कोई भूमि विकसित की है, यदि हाँ तो उसके व्यौरे दीजिए।
7. क्या आवेदक के पास कालोनी स्थापित करने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन हैं। (पर्याप्त व्यौरे दीजिये)।

8. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है? यदि हाँ, तो व्यौरे दीजिए.
9. आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये लेखे के विवरण की प्रति संलग्न करें).
10. संयुक्त हित, यदि कोई हो, का स्वरूप.
11. यदि आवेदक कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहता है तो उसके पिछले अनुभव का उल्लेख किया जाय. यदि वह प्रबन्धक नियुक्त करना चाहता है, तो प्रबन्धक का नाम, उसकी अर्हताएं, उसके पिछले अनुभव का स्वरूप तथा सीमा का उल्लेख किया जाय और उसका सहमति पत्र संलग्न किया जाय.

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए व्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं.

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर तथा पदनाम.

प्ररूप-दो (6)

[देखिए नियम-3 (4)]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निवाचन तथा शर्तें) नियम, 1998, के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन श्री/श्रीमती/मराजे निवासी आत्मज मोहल्ला नगर जिला का एतद्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

- (1) यह पंजीयन नगर के निवेश क्षेत्र/पंचायत क्षेत्र/न. पा. क्षेत्र तक के लिए है.
- (2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाइजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देना होगा.
- (3) प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारम्भ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी.

साल

रक्षान्

दिनांक

टीप.—कालोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनों में भूखण्डों/भवनों का आवंटन या आवंटन करने के करार करने की प्रतीका तब ही होगी जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है।

नगरपालिका आयुक्त/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

प्ररूप-तीन

(देखिए नियम-6)

पंजी

१. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख तथा वर्ष
२. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक
३. उस व्यक्ति का नाम जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया
४. पिता का नाम
५. यदि फर्म कम्पनी या संघ या संस्था (सोसाइटी) है तो सभी भागीदार सदस्यों के नाम
६. ये निर्बन्धन, शर्तें तथा निर्बन्धन जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया
७. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने की तारीख और रद्द करने के संक्षिप्त कारण
८. नियम-८ के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र की तारीख
९. नियम-१२ के अधीन दी गई अनुमति की तारीख

प्ररूप-चार

(देखिए नियम-8)

कालोनी के विकास के लिये आवेदन-पत्र

१. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
२. अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र
जिला

कालोनी के विकास की अनुमति हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत हैः—

१. आवेदक का पूरा नाम (व्यक्ति फर्म, सहकारी संस्था या कोई अन्य वर्ग की संस्था, कम्पनी है इसका उल्लेख करें).
२. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक
३. बत्तमान पता
४. सर्वे क्रमांक सहित उस भूमि के ब्वारे जिसका विकास करना अपेक्षित है
५. अधिकार जिसके अधीन आवेदक ने भूमि धारण की है
६. आवेदक के स्वामित्व की अचल संरक्षित के ब्वारे
७. क्या उसने यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के गूर्हे कोई भूमि विकास की है, यदि हाँ, तो उसके ब्वारे दीजिए

8. कालोनी की स्थापना हेतु वित्तीय साधनों के ब्यौरे
 9. ल्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिए दोसिंह ठहराया गया है? यदि हाँ तो ब्यौरे दीजिए
 10. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:—
 (1) कालोनी विकास की अनुमति के लिए निर्धारित शुल्क रु. (रुपये) नगरपालिका/नगरपालिका/नगर पंचायत
 कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (सत्यप्रति संलग्न है) हाँ जमा कर दिए गए हैं.
 (2) उस भूमि के संबंध में जिस पर कालोनी बसाने हेतु अनुमति मांगी गयी है, अधिकार स्वतंत्र या हित संबंधी प्रमाण देके आशय से सब-रजिस्ट्रार पंजीयन के प्रमाण-पत्र व दस्तावेज की सत्यप्रति.
 (3) विकसित की जाने वाली भूमि के भू-व्यपवर्तन प्रमाण-पत्र की सत्यप्रति.
 (4) प्रस्तावित विकास मानवित्र.
 (5) समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए भूखण्ड/भूमि उपलब्ध कराने के लिए नियम-10 अनुसार चयन किए गए विकल्प ब्यौरा.
 (6) नियम-12 (एक) अनुसार बंधक किए जाने वाले भूखण्डों का ब्यौरा.
 (7) कालोनी के विकास कार्य पर अनुभानित व्यय-पत्रक जो किसी अर्हता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित हो तथा यथास्थिती नगरपालिका नियम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत के कोष में इस अनुभानित व्यय-पत्रक में अंकित राशि के बराबर राशि जमा करने के प्रमाण में रसीद क्रमांक व दिनांक अंकित करते हुए रसीद की सत्य प्रतिलिपि.
 (8) त्रृण मुक्तता प्रमाण-पत्र.
- मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रत्युत्तर करने के लिए तैयार हूं/कृपया मुझे/हमें कालोनी बनाने का कार्य हाथ में लेने की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर,

प्रस्तुत-पांच
[देखिए नियम-12]

कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक

अनुमति क्रमांक

मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनीआइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वाचन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमती मेसर्स आत्मज मोहल्ला नगर जिला कुल रक्का में स्थित आवासीय कालोनी में विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- (1) नगर-भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
 (2) म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
 (3) म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
 (4) कमज़ोर वर्ग के भूखण्डों/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।

नगरपालिका आयुक्त/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, आपर सक्षि